

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 18/2024

अनवान : -

1. छिन्द्रकौर पुत्री कौरसिंह पत्नी दर्शनसिंह जाति जट सिख साकिन गोगामेड़ी तहसील नोहर।

-प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती  
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थीया  
राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 24/4/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स० 76/51 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 519/20240 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम लीलू पत्नी कौरसिंह दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थीया का वास्तविक व सही नाम मुताबिक दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में छिन्द्रकौर दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में लीलू पुत्री कोरसिंह के स्थान सही व वास्तविक नाम छिन्द्रकौर पुत्री कोरसिंह दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीया का नाम लीलू पुत्री कोरसिंह के स्थान सही व वास्तविक नाम छिन्द्रकौर पुत्री कोरसिंह दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थीया का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम छिन्द्रकौर है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम लीलू दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना


उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीया के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम छिन्द्रकौर दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 76/51 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 519/20240 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीया अपना नाम लीलू के स्थान पर छिन्द्रकौर दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम छिन्द्रकौर है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 76/51 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 519/20240 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम लीलू पुत्री कोरसिंह के स्थान पर लीलू उर्फ छिन्द्रकौर पुत्री कोरसिंह का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच लीलू पुत्री कोरसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का लीलू पुत्री कोरसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम लीलू पुत्री कोरसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/4/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2023/ 375

दिनांक : 26/04/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :- प्रकरण स० 18/2024 अनवानी छिन्द्रकौर बनाम  
सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या - 18/2024

अनवान :-

1. छिन्द्रकौर पुत्री कोरसिंह पत्नी दर्शनसिंह जाति जट सिख साकिन गोगामेड़ी तहसील नोहर।

-प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स० 76/51 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 519/20240 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम लीलू पुत्री कोरसिंह के स्थान पर लीलू उर्फ छिन्द्रकौर पुत्री कोरसिंह का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच लीलू पुत्री कोरसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का लीलू पुत्री कोरसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम लीलू पुत्री कोरसिंह ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

*ai*  
(पंकज गढ़वाल <sub>R.A.S.</sub>)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर